न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 102/2020

1 मूर्ति मंदिर श्री देवनारायणजी वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर जरिये सेवादार/पुजारी वादमित्र प्रभूदयाल पुत्र कजोड़मल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 9 चारण का बास पिपराली तहसील व जिला सीकर।
2 प्रभुदयाल पुत्र कजोड़मल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 9 चारण का बास पिपराली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 संतोष पत्नी भागीरथमल जाति मीणा निवासी ग्राम गुढ़ा खुर्द तहसील व जिला सीकर।
2 तहसीदलार तहसील सीकर जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राज्य सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 12.04.13
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी
श्री बनवारीलाल आर.ए.एस. वाद संख्या 58/2013 बउनवानी
संतोष देवी बनाम मूर्ति मंदिर श्री देवनारायणजी आवेदन
अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेंट ने धारा 251ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 1115 में से रास्ता चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिकाओ का अवलोकन किया जावे तो दिनांक 03.04.2013 को उक्त आवेदन को दर्ज करने एवं अनावेदक को जरिये नोटिस तलब करने एवं तहसीलदार सीकर से रिपोर्ट प्राप्त करने बाबत लिखा जाने का आदेश पारित किया एवं आगामी तिथि 05.04.2013 नियत की एवं दिनांक 05.04.2013 को तहसीलदार सीकर से रिपोर्ट प्राप्त नही होना आदेशिका में अंकित किया एवं सख्ती से तहसीलदार को पुनः लिखा जाना अंकित किया परन्तु अपीलांट संख्या 01 की तामील के सम्बंध में कोई आदेश पारित नही किया ना ही अपीलांट की तामील हुई ना ही अपीलांट संख्या 01 के सम्बंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया ना ही चिरअवयस्क के अधिकारो की सुरक्षा के लिए वादमित्र नियुक्त किया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

चिर अवयस्क के अधिकारो की रक्षा करना न्यायालयों का प्रथम कर्तव्य होता है फिर भी विचारण न्यायालय ने चिरअवयस्क के अधिकारों की रक्षा नही की एवं दिनांक 12.04.2013 को बिना सुनवाई का अवसर दिये चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। जिसमें खसरा नम्बर 1115 में से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 20 फिट चौड़ा रास्ता गलत रूप से बताया एवं तथाकथित उक्त रास्ता को 30 फिट चौड़ा करने की रेस्पोडेंट संख्या 01 की प्रार्थना को स्वीकार करके 9 मीटर चौड़ा रास्ता का चनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। जिसमें विचारण हल्का पटवारी की रिपोर्ट को गलत रूप से तहसीलदार की रिपोर्ट अंकित किया एंव विचारण न्यायालय ने विधि के प्रावधानो के विपरित चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट मूर्ति मंदिर का भक्त एवं पुजारी होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अत धारा 96 सीपीसी का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जावें। अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था अत विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हुई है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में मंदिर की तरफ से तहसीलदार सीकर को पक्षकार बनाया गया है। मौका रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 251ए के विधिक प्रावधानो के अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत की गई है। खसरा नम्बर 5253/1114 कृषि भूमि है। जिसमें आवागमन हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने पर चाहा गया रास्ता तहसीलदार की अनुशंसा पर प्रधान किया गया है। तहसीलदार भूमि अधिकारी एवं मंदिर भूमि का संरक्षक होने से उसकी रिपोर्ट विश्वसनीय है। अपीलांट न तो मंदिर का पुजारी है और न ही प्रभावित पक्षकार है जिससे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नही है।अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में मंदिर की तरफ से तहसीलदार सीकर को पक्षकार बनाया गया है। मौका रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 251ए के विधिक प्रावधानो के अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत की गई है। खसरा नम्बर 5253/1114 कृषि भूमि है। जिसमें आवागमन हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने पर चाहा गया रास्ता तहसीलदार की अनुशंसा पर प्रधान किया गया है। तहसीलदार भूमि अधिकारी एवं मंदिर भूमि का संरक्षक होने से उसकी रिपोर्ट विश्वसनीय है। अपीलांट न तो मंदिर का पुजारी है और न ही प्रभावित पक्षकार है जिससे अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नही है।अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07:01:2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर